कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तिलवाड़ा-तोलब-मयकोटी व मालकोटी-डांगी- गुनांउ हल्का वाहन मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं डामरीकरण हेतु। FP/UK/ROAD/11810/2015

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक

महोदय.

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक- 24-08-2017 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी, के पत्रांक 2217 / 12—1 दिनांक 25—01—2018 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :--

क्र0सं0 Short narrative of the project/scheme given in para -A-1 (iii) प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के Form A के of online Part-I does not give adequate information about the part I के section A - (ii) में Short narrative project/scheme. को अपलोड कर दिया गया है। The present proposal is meant for widening of LVR road to प्रस्तावक विभाग द्वारा बताया गया है, कि LVR motor road specification but the details of past proposal in मोटर मार्ग का निर्माण 1980 से पहले से हुआ respect of LVR road has not been given in the Table in para-था। जिस समय पर कोई प्रस्ताव नहीं बना था। B-1 of online Part-I. Village wise breakup of forest land has not been given in the प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के Form A के table in para- B-2.3 of online Part-I. part I के B-2.3 में Village wise breakup को अपलोड कर दिया गया है। The data given in para- E of online Part-I about employment प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के Form A के likely to be generated do not appear to be correct. part I के E में Empolyment details को अपलोड कर दिया गया है। In the FRA certificate issued by the District Collector, 'NA' 5 प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के Form A के has been written against para-(a) and para- (b) which is not part I के K(a) में FRA details को अपलोड कर proper. Revised FRA certificate is required to be issued. दिया गया है। Under FRA, the proceedings of the VLC meeting has been प्रस्तावक विभाग द्वारा VLC में ग्रामों का नाम provided for Kumoli, Malkoti & Karndhar villages of B-2.3 में अंकित कर दिया गया है, कि साथ Kumoli-Malkoti Gram Panchayat. It is seen from the ही VLC meeting का प्रमाण पत्र पार्ट । के information given in para-B-2.3 of online Part-I that the forest land involved in the project falls within the (k-a) में अपलोड कर दिया गया है। jurisdiction of Malkoti & Tolab villages but the proceedings of VLC meeting for Tolab village has not been provided. In the CA scheme, the estimated amount of CA was प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा CA scheme को mentioned as Rs. 9,94,488.50 which has been corrected to Form A के part II में अपलोड कर दिया गया Rs. 10.93,935.00 by hand. But, the corrected CA scheme has not been provided in the hard copy of the proposal. Original copies of Part III, IV & V have not been provided in प्रस्ताव की हार्ड कॉपी ड़ाक द्वारा प्रेषित की जा the hard copy of the proposal. रही है। Estimated cost of the project given in para- A-1 (vii) of प्रस्तावक विभाग द्वारा बताया गया है, कि online Part-I does not appear to be correct. Estimated cost of projects corrected (25.01 lacks for phase, I for consversion LVR to Motor Road).

(मनोज चन्द्रन)

भवदीय,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी